

07/05

वकील प्रार्थना व शर्तों के तहत उपस्थित पत्रावली का अवलोकन किया गया। कंपनी प्लेडिंग में पंजीकरण द्वारा सीव खात विवाद कानून व कगडा कानून अंतर्गत किया गया है। लेकिन किसी भी सीवांजोड काश्तकार स्वतंत्र को अख्तियार संयोजित नहीं किया गया है। केवल लैंड होल्डर तस्वीलदार को पक्षकार बनाया गया है। सीवांजोड काश्तकार। स्वतंत्रों को पार्टी नहीं बनाने से पत्रावली - पत्र में पक्षकारों (भावश्यक पक्षकारों) का असंयोजन है।

अतः पक्षकारों का असंयोजन होने से यह प्रार्थना-पत्र इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। प्रार्थना चाहते हैं उचित पक्षकार संयोजित कर सूक्ष्म स्तर पर चार जोड़ कर सकता है। आदेश सुनाया गया।

पत्रावली निर्णय में शुमार की जाकर नम्बर से काम हो तथा तदर्थीय तत्काल होकर दाखिल दर्ज़र है।

Seyend